

22/9
22

पसावली पैसल वही वही का आवाफ लगाई अर्थात्
कार-वान आवाफ लगाते के वापस ही वही
वाडी न्यायालय में दाखिल नहीं होगे वर
नाउ को अदत दाखिल अदत पैसली में
व्यापिक सिमा लागू है पसावली पैसल
आगत होकर नकद से काट होकर वापिस
पसल हो

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़